

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/1011B

लखनऊ:दिनांक: 15-1-2024

:-कार्यालय ज्ञाप:-

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में योजित याचिका संख्या 8389(Writ-C)/2023, 8376(Writ-C)/2023, 8254(Writ-C)/2023, 8302(Writ-C)/2023, 8303(Writ-C)/2023, 8317(Writ-C)/2023, 8150(Writ-C)/2023, 7956 (Writ-C)/2023, 7978(Writ-C)/2023 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-09-2023 एवं याचिका संख्या 8773(Writ-C)/2023 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-10-2023, याचिका संख्या 7675(Writ-C)/2023 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-09-2023, याचिका संख्या 8784(Writ-C)/2023 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-10-2023, याचिका संख्या 8750(Writ-C)/2023 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-10-2023 तथा याचिका संख्या 8780(Writ-C)/2023 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-10-2023 के अनुपालन में निम्न संस्था को Provisional Affiliation (अनंतिम संबद्धता) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम:- SKD COLLEGE OF PHARMACY,LUCKNOW			
संस्था कोड:- 2555			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें-

- संस्थान को Provisional Affiliation (अनंतिम संबद्धता) मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित आदेशों के अधीन प्रदान की जा रही है।
- संस्थान की उक्त अनंतिम सम्बद्धता (Provisional Affiliation) याचिका संख्या 8389(Writ-C)/2023 (एच0एम0एस0 कॉलेज ऑफ़ फार्मसी, बुलन्दशहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) एवं इनके साथ योजित अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 27-09-2023 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में योजित SPECIAL APPEAL NO. 504 OF 2023 तथा माननीय उच्च न्यायालय में राज्य सरकार/परिषद् द्वारा योजित की जा रही अन्य SPECIAL APPEALS के आदेशों के अधीन है।
- संस्था को प्रवेश लेने वाले समस्त छात्रों को अपने स्तर से यह अवगत कराना होगा कि संस्था की प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्धता प्रोविजनल है एवं प्रोविजनल सम्बद्धता मा0 न्यायालय में योजित SPECIAL APPEAL NO. 504 OF 2023 के आदेश के अधीन है।
- संस्थान को जिलाधिकारी/परिषद स्तर से गठित निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गयी कमियों को 15 दिवस के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा एवं प्रोविजनल सम्बद्धता पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस में इस आशय का रू० 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र परिषद् कार्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्थान में पी0सी0आई0 के मानक के अनुरूप समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण शैक्षिक/शिक्षणेत्तर स्टाफ) आदि उपलब्ध होना अनिवार्य हैं।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमवाली-2000, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

8. संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
9. संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
10. संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
11. यदि संस्थान का पी०सी०आई०, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
12. संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई०, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं दी जायेगी।
13. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
14. संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू०राइज पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
15. संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
16. संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
17. उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद् की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखेगी।
18. संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण- साज-सज्जा एवं पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार पर्याप्त शैक्षिक स्टाफ उपलब्ध नहीं पाए जाते हैं तो संस्था की अनंतिम संबद्धता तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
19. सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव।

पू०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/1011C

तद्दिनांक: 15-1-2024

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य/निदेशक, सम्बंधित संस्थान।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव।